रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266723 CG-DL-E-07102025-266723

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4330]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947
No. 4330]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4454(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.5339(अ), तारीख 10 दिसंबर, 2024 का संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्लिखित सारणी और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"सारणी

क्र.सं.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -1	कोटा
		बूंदी
		झालावाड़

6566 GI/2025 (1)

		बारां
		करौली
		धौलपुर
		भरतपुर
		सवाई माधोपुर
		डीग
2.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -2	दौसा
		अलवर
		जयपुर
		झुंझुनू टोंक
		टोंक
		सीकर
		अजमेर
		नागौर
		कोटपूतली-बहरोड़
		खैरथल-तिजारा
		ब्यावर
		डीडवाना-कुचामन
3.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -3	जोधपुर
		सिरोही
		पाली
		बाड़मेर
		जालौर
		बीकानेर
		जैसलमेर
		श्रीगंगानगर
		चुरु
		हनुमानगढ़
		बालोतरा
		फलोदी
4.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -4	उदयपुर
		बांसवाड़ा
		प्रतापगढ़
		डुंगरपुर
		राजसमंद
		चित्तौड़गढ़
		भीलवाड़ा
		सलूम्बर"

[फा. सं. जे-11013/29/2007- आईए.II.(I)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5339(अ) तारीख 10 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 3059(अ) तारीख 9 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

S.O. 4454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes further to amend to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 5339 (E), dated the 10th December, 2024, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, for the Table and the entries relating thereto, the following table and entries shall be substituted, namely:-

"Table

S.No.	State Level Expert Appraisal Committee	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State Level Expert Appraisal Committee -1	Kota
		Bundi
		Jhalawar
		Baran
		Karauli
		Dholpur
		Bharatpur
		Sawai Madhopur
		Deeg
2.	State Level Expert Appraisal Committee -2	Dausa
		Alwar
		Jaipur
		Jhunjhunu
		Tonk
		Sikar
		Ajmer
		Nagaur
		Kotputli-Behror
		Khairthal-Tijara
		Beawar
		Didwana-Kuchaman
3.	State Level Expert Appraisal Committee -3	Jodhpur
		Sirohi

		Pali
		Barmer
		Jalore
		Bikaner
		Jaisalmer
		Shri Ganganagar
		Churu
		Hanumangarh
		Balotra
		Phalodi
4.	State Level Expert Appraisal Committee -4	Udaipur
		Banswara
		Pratapgarh
		Dungarpur
		Rajsamand
		Chittorgarh
		Bhilwara
		Salumber"

[F. No. J-11013/29/2007-IA.II(I)]
RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5339 (E), dated the 10th December, 2024, and subsequently amended *vide* number S.O.3059 (E), dated 09th July, 2025.